संख्या-43/2021/2019/77-3-2021-10बजट/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 सितम्बर, 2021

विषय- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-1374-।/यूपीडा/08/147, दिनांक 17.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे-परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य'' मद में रू0 60748.00 लाख का प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्या-26/2021/851/77-3-21, दिनांक 04.05.2021 के द्वारा रू0 30000.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-37/2021/1379/77-3-21-10(बजट)/18, दिनांक 19.07.2021 के द्वारा रू0 15000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। सम्प्रति रू0 15748.00 लाख की धनराशि अवशेष धनराशि है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सपे्रसवे परियोजना हेतु परियोजना के निर्माणकर्ताओं को माह अगस्त, 2021 के बिलों के भुगतान हेतु वृहत् निर्माण कार्य मद से अवशेष धनराशि रू0 15748.00 लाख (रू0 एक सौ सतावन करोड़ अडतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैंः-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

(2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-1375 /दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2/2021/बी-3-138/ दस-2021-100(4)/2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 15786.00 लाख (रू0 एक सौ सत्तावन करोड़ अडतालिस लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0.-3/2021/बी-1-1375 /दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या-43/2021/2019(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
04. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
05. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4
07. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव